राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 423/2024

जगदीश नारायण मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक : 06.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में रेंजर ग्रेड प्रथम के पद पर रेंज लालसोट, उपवन संरक्षक दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज लालसोट उपवन संरक्षक दौसा से रेंज भरतपुर, उपवन संरक्षक भरतपुर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.06.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज अकबरपुर, उपवन सरंक्षक बाघ परियोजना, सरिस्का से रेंज लालसोट उपवन संरक्षक दौसा में किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 20.07.2022 को क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज लालसोट, उपवन संरक्षक दौसा में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को उक्त स्थान पर कार्यग्रहण किए मात्र 7 माह ही हुए है। 7 माह की अल्पावधि में ही आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का रेंज लालसोट, उपवन संरक्षक दौसा से रेंज भरतपुर, उपवन संरक्षक भरतपुर में स्थानान्तरण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक का अल्पावधि में किया गया स्थानान्तरण आदेश अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। राज्य सरकार के परिपत्र/स्थानान्तरण निर्देश दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–3) के अनुसार

राजस्थान राज्य वन सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारियों एवं कार्मिकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण बाबत् निर्देश जारी किये गये जिसके नियम सं. 1.1 में निर्देश जारी किये गये कि प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत् निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा अर्थात् किसी कर्मचारी को एडजस्ट करने के लिए किसी कर्मचारी का दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। उक्त निर्देश शासन उप–सचिव द्वारा अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी किया गया आदेश है। परन्तु प्रत्यर्थी सं. 1 के उक्त आदेश के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का 7 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए स्थानान्तरण किया गया है। जो उक्त निर्देशों के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 385/2021 दशरथ सिंह बनाम वन विभाग में दिनांक 13.01.2021 (अनुलग्नक–4) को प्रत्यर्थी सं. 1 के आदेश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु सं. 1.1 के विपरीत जाकर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.08.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा स्थगन आदेश को पुष्ट किया तथा रिट याचिका स्वीकार की तथा प्रत्यर्थी सं. 1 के आदेश के अनुसार उचित ठहराव के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग को स्थानान्तरण करने की छूट प्रदान की। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी का 7 माह की अल्पावधि में ही आलौच्य आदेश के द्वारा विभाग के निर्देश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु सं. 1.1 के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। माननीय अधिकरण ने भी अपील सं. 3888/2021 ओमप्रकाश शर्मा बनाम वन विभाग में दिनांक 23.09.2021 (अनुलग्नक–6) द्वारा समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किया था। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। माननीय अधिकरण ने अपील सं. 1141/2023 रघुनाथाराम बनाम राजस्व विभाग में दिनांक 28.08.2023 को तथा अपील सं. 165/2023 योगेश उपाध्याय बनाम शिक्षा विभाग में दिनांक 11.01.2023 को अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण आदेशों पर स्थगन आदेश जारी किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 6507/2019 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम सरकार में दिनांक 10.04.2019 को यह निर्धारित किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश नजरअंदाज करने के लिए नहीं है। उनके आदेशों के अनुसार ही विभाग को स्थानान्तरण करने चाहिए (अनुलग्नक–7 से 9)। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 15.06.1965 है तथा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति 30.06.2025 को नियत है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 1 वर्ष 4 माह शेष है। पेंशन नियम 1996 के नियम 80 के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय के पुष्पा मेहता बनाम सरकार में पारित निर्णय के विपरीत है (अनुलग्नक–10)।

माननीय अधिकरण ने भी अपील संख्या 6528/2022 बुद्धिप्रकाश साहू बनाम ग्रामीण विकास विभाग में दिनांक 04.01.2023 को तथा अपील संख्या 3863/2022 पंकज चतुर्वेदी बनाम शिक्षा विभाग में दिनांक 07.10.2022 को समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किया है (अनुलग्नक–11 से 13)। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज लालसोट, उपवन संरक्षक दौसा में ही पदस्थापित रखने के आदेश प्रदान किए जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन पर यह अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जा रही है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान रेंज लालसोट, उपवन संरक्षक दौसा में दिनांक 20.07.2022 से कार्यरत है अर्थात एक वर्ष एवं सात माह से पदस्थापित है, जबकि अपील में मात्र माह सात माह से पदस्थापित होने का अंकन किया है और आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा उसका स्थानान्तरण रेंज लालसोट उपवन सरंक्षक दौसा से रेंज भरतपुर उपवन संरक्षक भरतपुर किया गया, जो समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात किया गया है। राज्य सरकार में पेंशन प्रकरण वर्तमान में ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा निस्तारित किए जाते है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात राजसेवकों का कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी भी तरह की अनियमितता एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य